रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032021-225864
CG-DL-E-15032021-225864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942**
No. 131]	**NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

सा.का.नि. 172(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा काशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in, के पास भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में होने के बावजूद भी ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,

(क) नियम 115-आई अर्थात संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाले मोटर वाहनों के लिए अपेक्षाओं को 115-जे के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा: -

(ख) नियम 115-जे के पश्चात, निम्नलिखित नियम, 115-के को अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात

"115-के एनहाइड्रोस इथनॉल अथवा गैसोलिन के साथ इथलॉन के मिश्रण पर चलने वाले एल, एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों की सुरक्षा अपेक्षाएं

एनहाइड्रोस इथनॉल अथवा उक्त नियमों के अंतर्गत ईंधन विशिष्टताओं में विनिर्दिष्ट गैसोलिन के साथ इथलॉन के मिश्रण पर चलने वाले एल, एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों की सुरक्षा अपेक्षाएं समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस 171:2021 के अनुरूप होगी, जब तक संगत मानक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (2016 का) के अंतर्गत अधिसूचित न हो।"

[सं. आरटी-11036/52/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांक .... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

G.S.R. 172(E).—In The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989,

(a) Rule 115-I namely, Requirements for the motor vehicles running on compressed gaseous hydrogen fuel cell, shall be renumbered as 115-J.

(b) after rule 115-J, the following rule, 115-K shall be inserted, namely,-

"115-K. Requirements for motor vehicles of Categories L,M and N running on anhydrous ethanol or blends of ethanol with gasoline

The safety requirements of motor vehicles of Categories L,M and N running on anhydrous ethanol or blends of ethanol with gasoline, with fuel specifications as specified under the said rules, shall be in accordance with

AIS 171:2021, as amended from time to time, till the corresponding Standard is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 1986 (of 2016).”

[No. RT-11036/52/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.15 09:37:34 +05'30'